Witness No….....01.....,for–.....अभियोजन.....,

Deposition taken on the ...06.10.2025.....,day of - witness's apparent age –....22.....वर्ष

States affirmation on oath.....शपथपूर्वक..... my name is –.....श्री रोशन लाल.....

D/W/S of – .....पिता– मुकुंद नेताम.....occupation–.....पेंटर.....

Address – .....कुंदरूपारा बालोद, थाना व जिला बालोद, छ0ग0.....

//राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री प्रमोद धृतलहरे उपस्थित।//

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 01:20 बजे।

01. मै आरोपी सगीर बेग को पहचानता हूं। मै आरोपी मजहर खान को पहचानता हूं। मै शेख अफजल को भी पहचानता हूं। घटना 2–3 साल पूर्व की है। घटना दिनांक को मै, सगीर बेग, अफजल बालोद से धमतरी उर्स देखने गए थे। हम तीनों एक ही मोटर सायकल में गए थे। मोटर सायकल को सगीर बेग चला रहा था।

02. वापस आते समय जगतरा के पास पहुंचे थे उस समय भी मोटर सायकल को सगीर बेग चला रहा था। मै बीच में बैठा था और शेख अफजल गाड़ी के पीछे बैठा था। पेट्रोल पंप में के पास 3 और मोटर सायकल खड़ी थी, सामने तरफ से एक कार तेजी से आ रही थी। हम लोग बचने के लिए अपने बांए तरफ मुडे और मिट्टी से फिसलकर सड़क किनारे के लगे तार में गिर गए।

03. एक्सीडेंट से शेख अफजल को सिर में चोट आई थी। वाहन चालक सगीर बेग को भी चोटें आई थी। मुझे बांए पैर के नस में चोट आया था। एंबुलेंस से अफजल और सगीर को जिला अस्पताल बालोद लेकर आए थे। मौके पर ही शेख अफजल की मृत्यु हो चुकी थी।

टीप– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने हेतु अनुमति चाही गई। विचार उपरांत अनुमति प्रदान की

गई।

04. यह कहना सही है कि हम तीनों मोटर साकयल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर कमांक सीजी 24 पी0 1031 से धमतरी गए थे और उसी मोटर सायकल से वापस आ रहे थे। यह कहना गलत है कि आरोपी सगीर बेग मोटर सायकल को बहुत तेज गति से चला रहा था तो हम लोग उसे मोटर सायकल को धीमी गति से चलाने के लिए बोल रहे थे।

05 यह कहना गलत है कि सगीर बेग हमारी बातों को नहीं माना और मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे लगे कटीले तार और पोल में टकरा दिया था। स्वतः कहा कि कार से बचने के लिए मुडे थे और कार में टकरा गए थे। यह कहना गलत है कि सगीर बेग के लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ था। यह कहना गलत है कि सगीर बेग मोटर सायकल को हमारे बताए अनुसार धीरे व सामान्य पूर्वक चलाता तो दुर्घटना नहीं होती।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री दीपक सामटकर, वास्ते आरोपी //

06. यह कहना सही है कि मोटर सायकल सामान्य गति में थी, स्पीड में नहीं थी। यह कहना सही है कि अचानक कार आने के कारण मोटर सायकल से हम लोग गिरे थे। यह कहना सही है कि हम तीनों अलग अलग गिरे थे। सिमेंट पोल में मृतक अफजल को चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी।

07. यह कहना सही है कि घटना अचानक घटित हुई थी कार वाले के लापरवाही के कारण। यह कहना सही है कि घटना से हम लोगों को भी चोटें आई थी।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 01:45 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया। गवाह का हस्ताक्षर मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.